—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 97/2022

उनवान

नन्दा पुत्र छीतर जाति जाट निवासी ग्राम साम्प्रोदा नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवकता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. कमला पुत्री उगमा
2. करमचन्द पुत्र हगामा,
3. खुशीराम पुत्र विसराम,
4. गज्जा पुत्र उगमा,
5. गोना देवी पत्नि हनुमानप्रसाद,
6. गोपाल पुत्र रामकिशन,
7. चन्द्री पुत्र गज्जा,
8. झमरी पुत्र गजा,
9. प्रभू,
10. बोदू पुत्र हगामा,
11. भूली पत्नि रामकिशन,
12. भागचन्द पुत्र बक्षा,
13. मंगल पुत्र विसराम,
14. मन्ना पुत्री विसराम,
15. मन्ना पुत्र हनुमाप्रसाद,
16. मिठू पुत्र गजा,
17. रामकन्या पत्नि विसराम,
18. श्योजी पुत्र गजा,
19. शोभराज पुत्र हनुमानप्रसाद,
20. सुखपाल पुत्र रामकिशन,
21. सुमन,
22. सोराज पुत्री हनुमानप्रसाद,
23. हगामी पत्नि हगामा समस्त जातिगण जाट निवासीगण समप्रोदा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर,
24. मैनेजर बैंक आफ बडौदा शाखा रामसर जिला अजमेर,
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 24 अनुपस्थित
25 जरियें राज. पैरोकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:16:47 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

दिनांक :–23.5.25

—: निर्णय :—

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम साम्प्रोदा में स्थित आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी कायतकारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

चौसाला ख.न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
596	16—7—10	734	16—7—10	635	6.41
599	24—2—0	737	24—2—0	634	0.14
600	10—11—0	738	9—19—0	626	1.03
		739	0—3—0	627	0.58
		740	0—4—0		
		741	0—3—0		
		742	0—3—0		

उक्त आराजी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 में छीतर पुत्र धूला, लिखमा पुत्र बख्तावर, गज्जा मुतबन्ना रायचन्द, उगमा पुत्र हरजी के नाम खातेदारी दर्ज है। किन्तु बंदोबस्त विभाग ने हाल जमाबंदी में वादी का हिस्सा त्रुटिपूर्ण तरीके से 1/18 दर्ज कर दियाजबकि चौसाला व वंर्किग जमाबंदी में वादी के पिता छीतर पुत्र धूला का 1/4 हिस्सा दर्ज था। हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा भूमि को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी का हिस्सा 1/18 के स्थान पर 1/4 दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 24 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख के खाता संख्या 182/222 किता 4 रकबा 8.16 में वादी नन्दा पि. छीतर का 1/18 हिस्सा दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 97/108 में उक्त आराजी छीतर पुत्र धूला, लिखमा पुत्र बख्तावर, गज्जा मुतबन्ना रायचन्द, उगमा पुत्र हरजी के नाम दर्ज है। वंर्किग जमाबादी में वादी के पिता छीतर पुत्र धूला का 1/4 हिस्सा दर्ज नही है। चौसाला जमाबंदी में भी आराजी मुतनाजा र वादी के पिता के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज नही है। वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 97/108 में उक्त आराजी छीतर पुत्र धूला, लिखमा पुत्र बख्तावर, गज्जा मुतबन्ना रायचन्द, उगमा पुत्र हरजी 4 व्यक्तियों के नाम के नाम दर्ज होने को आधार मान कर वादी अपना 1/4 हिस्सा होने का कथन करते है। छीतर पुत्र धूला, लिखमा पुत्र बख्तावर, गज्जा मुतबन्ना रायचन्द, उगमा पुत्र हरजी का आपस [illegible] ने अपने वाद में सिद्व नही किया है। बंदोबस्त विभाग द्वारा

वादी के नाम 1/18 हिस्सा दर्ज [illegible] है। हाल राजस्व अभिलेख में सेग्रीगेशन के समय उक्त [illegible]। हाल राजस्व अभिलेख में वादी के नाम दर्ज हिस्सा बदोबस्त विभाग द्वारा अंकित नही [illegible]या गया है अतः हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व

—3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:16:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नही होता है। वादी का कथन है कि उसका हिस्सा 1/18 के स्थान पर 1/4 दर्ज किया जावे। किन्तु वादी ने अपने वाद में स्पष्ट नही किया है कि किस खातेदार का हिस्सा अधिक दर्ज कर दिया गया है। वादी का हिस्सा अधिक दर्ज करने से अन्य खातेदार के हिस्से प्रभावित होगे किन्तु किस खातेदार का कितना हिस्सा कम करना है यह वाद पत्र में स्पष्ट नही है। आराजी मुतनाजा के मूल खातेदार का आपस में क्या संबध है तथा उनके वारिसान की स्थित स्पष्ट करने हेतु शजरा प्रमाण पत्र भी प्रकरण में पेश नही किया है। अतः आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है।

उक्तानुसार ग्राम साम्प्रोदा के हाल खसरा नम्बर 635/6.41, 634/0.14, 626/1.03 व 627/0.56 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:16:47 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

नन्दा बनाम कमला

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 97/2022
पेश करने की दिनांक – 01.07.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम साम्प्रोदा के हाल खसरा नम्बर 635/6.41, 634/0.14, 626/1.03 व 627/0.56 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 23 माह 5 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:16:47 IST
Reason: SelfAttested